

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -2335 / 2011 / बांसवाड़ा

मैसर्स एशियन माईनिंग एसोसियेट्स, बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अंजनी.के.त्रिवेदी,

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 26.08.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी जो अपील संख्या 83/वेट/2010-11 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वृत्त-बांसवाड़ा द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा)की धारा 23, 24, 55 व 58 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि रु.89,991/-, शास्ति रु.2,200/- व निर्धारित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रु.21,860/- कुल रु.1,14,051/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर का मुजरा चाहा गया है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से इन्वॉयसेज प्रस्तुत किये गये जिनकी जांच कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रॉयल्टी राशि जोड़कर, कर वसूल किया गया है एवम् प्रस्तुत इन्वॉयस हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर का होना पाये जाने पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त को खनन कार्य में प्रयुक्त होना अवधारित कर, यह माना कि अपीलार्थी व्यवहारी वि-निर्माणकर्ता नहीं है, चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार मांग राशि कायम कर, निर्धारण आदेश दिनांक 14.10.2010 पारित किया गया। उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील

लगाता.....

प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विनिर्माणकर्ता है एवम् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान माईनिंग व विनिर्माण की संश्लिष्ट गतिविधि की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त उत्पाद होने से अपीलार्थी विनिर्माता की श्रेणी में आता है। इसी कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खनन हेतु प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किये गये वेट का अधिनियम की धारा 18 के तहत आगत कर का मुजरा उचित रूप से चाहा गया था। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा खनन कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने वाले उपकरण/औजार/सामग्री पर रिवर्स किये गये आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 793 व 795/1999 निर्णय दिनांक 15.10.2009 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1448/2011/चुरु स.वा.क.अ., चुरु बनाम् मैसर्स लक्ष्मी स्ओन केशर, चुरु निर्णय दिनांक 06.06.2013 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलेक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारियों को अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत आगत कर वलेम उसी स्थिति में ही देय है, जब राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से कर योग्य माल क्रय कर पुनः उक्त माल का विक्रय राज्य/अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में किया जाता है अथवा कोई वस्तु कच्चे माल के रूप में क्रय कर उससे निर्मित नयी वस्तु राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय/निर्यात करता है अथवा कर योग्य माल क्रय कर राज्य में पूंजीगत वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खनन कार्य किया जाता है। अतः खनन कार्य में व खनन प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ काम आने वाली मशीनों पर अदा किये गये वेट की राशि का आगत कर की मुजरा राशि अधिनियम की धारा 18 के तहत अनुज्ञात नहीं किया जा सकता।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया खनन कार्य अधिनियम की धारा 2(22) के

प्रावधानानुसार परिभाषित निर्माता (Manufacture) की श्रेणी में नहीं आने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोक्य अवधि के दौरान खनन प्रक्रिया हेतु पूंजीगत वस्तुओं के क्रय पर राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों को अदा किये गये वैट का आगत कर का मुजरा अस्वीकार करने संबंध में पारित निर्धारण अधिकारी का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम् मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट, सिरौही बनाम् अपील संख्या -1319/2013/सिरौही निर्णय दिनांक 26.06.2014 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर माननीय पीठ द्वारा खनन कार्य में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार किया गया है। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलेक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर का क्रय किया गया है जिसके संबंध में उक्त पर अदा किये गये वैट का आगत कर का मुजरा चाहा गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 2(22) के तहत विनिर्माण, धारा 2(29) के तहत कच्चा माल एवं धारा 2(7) के तहत पूंजीगत वस्तुओं (केपीटल गुड्स) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जिन्हें अधिनियम में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(22) "manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government.

2(7) "Capital Goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the official Gazette.

2(29) "raw material" means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel and lubricant required for the process of manufacture;

निर्माण की परिभाषा के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि माईनिंग में कोई पृथक एवं विशिष्ट रूप से भिन्न वस्तु नहीं निर्मित होती है, इसलिए माईनिंग/खनन को विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं माना गया है।

जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक



दृष्टांतों का प्रश्न है, उक्त हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि जहां तक खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनों पर चुकाये गये कर का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानान्तर्गत जो निम्नांकित है, आगत कर का मुजरा देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त को अस्वीकार किया गया है।

अधिनियम की धारा 18.- Input Tax Credit. - (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or

(e) being used as raw material, "*except those as may be notified by the State Government,*" in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

(f) "*being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale*" in the course of export outside the territory of India; or

(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section. (09.03.2011 से पूर्व की स्थिति में)


अधिनियम के उक्त प्रावधानानुसार कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुयें, जो कि वि-निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त होंगी, उन्हीं पर ही आगत कर का मुजरा देय होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2(7) में वर्णित "पूंजीगत वस्तु" की परिभाषा से स्पष्ट है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निर्माण प्रक्रिया से अन्यथा प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर का मुजरा संबंधी प्रावधान



अधिनियम में नहीं हैं।

यही नहीं अपीलार्थी द्वारा खनन में प्रयुक्त मशीनरी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती हैं, बल्कि केवल उत्खनन में ही प्रयुक्त होती हैं तथा उत्खनन निर्माण प्रक्रिया नहीं है। फलस्वरूप, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह पीठ यह अवधारित करती है कि आगत कर का मुजरा केवल वि-निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) पर देय होगा अन्य प्रक्रियाओं में प्रयुक्त वस्तुओं/माल पर देय नहीं होगी। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 793 व 795/1999 निर्णय दिनांक 15.10.2009 का अध्ययन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जिप्सम-जिप्सम पाउडर निर्माण प्रक्रिया है कि नहीं ? उक्त बिन्दु निणयार्थ विचाराधीन था। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व हस्तगत प्रकरण के तथ्य पूर्णतः भिन्न प्रकृति के होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप, उक्त विश्लेषण व कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 1450/2011/उदयपुर व अपील संख्या 2142/2012/उदयपुर निर्णय दिनांक 17.02.2014, व विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट, सिरोही बनाम अपील संख्या -1319/2013/सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से मांग राशियां कायम की गयी हैं। जिन्हें अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है

निर्णय प्रसारित किया गया।


5.8.2014
(मदन लाल)

सदस्य